87

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3938-एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 17-11-2016 - पारित व्दारा तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर - प्रकरण क्रमांक 90 अ-68/2015-16

गोविन्द सिंह बुन्देला पुत्र मानसिंह
ग्राम मउ सहानिया तहसील नौगॉव
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री लखन सिंह धाकड़)

(अनावेदक के पैनल लायर श्री डी0के0शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक ९ - १२ - 2016 को पारित)

तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 90 अ-68/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17-11-2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

2- प्रकरण का सारॉश यह है कि पटवारी हलका मउ ने तहसीलदार नौगाव को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मउ स्थित भूमि खसरा नंबर 1314/3 रकबा 0.699 हैक्टर , जो मध्य प्रदेश शासन शासकीय भवनों हेतु आरक्षित है , पर गोविन्द सिंह बुन्देला पुत्र मानसिंह ने अतिक्रमण करके 30X40 वर्गफुट पर मकान व दुकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। तहसीलदार नौगॉव ने प्रकरण कमांक 90 अ-68/ 2015-16 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक को सुनकर आदेश आदेश दिनांक 17-11-2016 पारित किया एंव आवेदक पर 20,000/-रू. अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये बेदखली के आदेश दिये। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3- निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- निगरानी मेमो के तथ्यों एंव उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि पटवारी व्दारा तहसीलदार नौगॉव को अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत रिपोर्ट पर से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1314/3 रकबा 0.699 हैक्टर मध्य प्रदेश शासन व्दारा भवनों के निर्माण हेतु आरक्षित है अर्थात वाद विचारित भूमि का मद भवन निर्माण हेतु सुरक्षित है जिसके 30X40 वर्गफुट पर मकान व दुकान बनाकर अतिक्रमण करना पटवारी ने प्रतिवदित किया है तब क्या निर्मित पक्के मकान एंव दुकान के भाग को संहिता की धारा 248 के अंतर्गत अतिक्रमण-स्वरूप हटाया जा सकता है ?

अनुजराम विरूद्ध म0प्र0शासन 1969 राजस्व निर्णय 447 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत के आश्वासन पर, कि भूमि का पटटा दिया जायेगा, मकान निर्माण सदभावनापूर्ण किया गया, ऐसा अतिक्रमण हटाने योग्य नहीं है। विचाराधीन प्रकरण में ग्राम पंचायत मउ ने आवेदक को दिनांक 16-4-1999 में भूमि खसरा नंबर 1314/3 के 30X40 वर्गफुट पर मकान बनाने हेतु पटटा प्रदान दिया है । इसी प्रकार बेनीप्रसाद पाण्डेय विरूद्ध म0प्र0 राज्य 1980 रा0नि0 154 का न्याय दृष्टांत है कि आवेदक को ग्राम पंचायत ने पटटा दिया जो इतालवी रजिस्टर में दर्ज है भवन निर्माण की ग्राम पंचायत की अनुमति है । राजस्व मण्डल ने तहसीलदार व्दारा संहिता की धारा 248 के अंतर्गत पारित बेदखली आदेश , एस0डी0ओ0 का अपीलीय आदेश तथा अतिरिक्त आयुक्त का अपीलीय आदेश दिनॉक 9-9-76 निरस्त किया है एंव निगरानी स्वीकार हुई है। विचाराधीन निगरानी प्रकरण की भी यही स्थिति है क्योंकि ग्राम पंचायत मउ ने आवेदक को ग्राम मउ की भूमि खसरा नंबर 1314/3 के 30X40 वर्गफुट पर मकान बनाने हेतु पटटा दिया है तथा ग्राम पंचायत व्दारा दिनॉक 25-1-2007 को आवेदक को मकान बनाने की अनुमति भी प्रदान की गई है , तदुपरांत आवेदक ने ग्रामीण बैंक से ऋण लेकर मकान का निर्माण करना अभिलेख से परिलक्षित है। पूर्व में भी ग्राम न्यायालय में अतिक्रमण की शिकायत होने पर आदेश दिनॉक 30-9-2004 से अतिक्रमण न होना मानकर प्रकरण निरस्त हुआ है जिसके कारण आवेदक के विरूद्ध इन अभिलेखों के देखे बिना तहसीलदार नौगॉव व्दारा प्रकरण क्रमांक 90 अ-68/ 2015-16 में पारित आदेश दिनांक17-11-2016 से की गई बेदखली की कार्यवाही

नियमानुसार होना नहीं पाई गई है क्योंकि आवेदक व्दारा ग्राम पंचायत से वाद विचारित भूखंड लेना प्रमाणित किया है जिसके कारण तहसीलदार व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 90 अ-68/ 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 17-11-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर

Xxxix(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3938–एक/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अ आदि के हस्ता.
6–1–17	आवेदक के अभिभाषक ने उपस्थित होकर म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 3938–एक/16 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9–12–2016 के उन्मान में आवेदक गोविन्द सिंह बुन्देला के पिता का नाम टंकण त्रृटि से मानिक सिंह के बजाय मान सिंह हो गया है जिसे सुधारा जावे। विचारोपरांत आदेश दिये जाते हैं कि व्दारा प्रकरण क्रमांक 3938–एक/16 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 9–12–2016 के उन्मान में आवेदक गोविन्द सिंह बुन्देला के पिता का नाम मान सिंह के बजाय मानिक सिंह पढ़ा जावे। सदस्य	